संख्या-9/2023/109/सैंतीस-2-2023/002-1(12)/2013

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-18 जनवरी, 2023

विषयः- **अनुदान संख्या-83 के अधीन पशु रोग अनुसन्धान तथा निदान और सेवाओं का विस्तार (जि.यो.) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-537/सा0-1/एक्स-120(187)/अनु.-83/जि.यो./2022-23, दिनांक-12.01.2023 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या-63/2022/1103/सैंतीस-2-2022/001-1(12)/2013, दिनांक-06.07.2022 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03-पशु रोग अनुसंधान तथा निदान और सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) के अन्तर्गत निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0-600.00 लाख (रूपये छः करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न जनपदवार विवरणानुसार अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	50.00
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	50.00
39-औषधि तथा रसायन	400.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	100.00
योग-	**600.00**

(रूपये छः करोड़ मात्र)

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी. हेतु निर्धारित मानकों/अनुमोदित कार्ययोजना एवं निर्धारित मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. जिला योजनाओं के अन्तर्गत जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।
4. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग योजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा तथा धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
6. योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति (जेम) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
7. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग द्वारा संभावित व्यय को एक मुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार किया जाये।
8. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिसमें ब्याज अर्जित हो तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।
10. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07.06.2022 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2403007890300 (पशु रोग अनुसंधान तथा निदान और सेवाओं का विस्तार (जिला योजना))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	083	2403007890300 पशु रोग अनुसंधान तथा निदान और सेवाओं का विस्तार (जिला योजना)	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
2	083	2403007890300 पशु रोग अनुसंधान तथा निदान और सेवाओं का विस्तार (जिला योजना)	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
3	083	2403007890300 पशु रोग अनुसंधान तथा निदान और सेवाओं का विस्तार (जिला योजना)	39 औषधि तथा रसायन	4,00,00,000 (रुपये चार करोड़ मात्र)
4	083	2403007890300	43	1,00,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		पशु रोग अनुसंधान तथा निदान और सेवाओं का विस्तार (जिला योजना)	सामग्री एवं सम्पूर्ति	(रुपये एक करोड़ मात्र)
	कुल			**6,00,00,000 (रुपये छह करोड़ मात्र)**
महायोग				6,00,00,000 (रुपये छह करोड़ मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक - यथोपरि।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-9/2023/109(1)/सैंतीस-2-2023/002-1(12)/2013 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>शासनादेश संख्या-9/2023/109/सैंतीस-2-2023/002-1(12)/2013, दिनांक-18 जनवरी, 2023 का संलग्नक-</u>

<u>पशु रोग अनुसंधान तथा निदान और सेवाओं का विस्तार (जि.यो.) (कम्पोनेन्ट) (2022-23)</u>

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	मानक मद				
		12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	39-औषधि तथा रसायन	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	सहारनपुर	0.792	0.792	6.516	1.620	**9.720**
2	मुजफ्फरनगर	1.056	1.056	8.688	2.160	**12.960**
3	शामली	0.550	0.550	4.525	1.125	**6.750**
4	बिजनौर	0.814	0.814	3.697	1.665	**6.990**
5	मुरादाबाद	0.484	0.484	3.982	0.990	**5.940**
6	रामपुर	0.418	0.418	3.439	0.855	**5.130**
7	अमरोहा	0.462	0.462	3.801	0.945	**5.670**
8	सम्भल	0.396	0.396	3.258	0.810	**4.860**
9	मेरठ	0.704	0.704	5.792	1.440	**8.640**
10	बागपत	0.804	0.804	5.892	1.540	**9.040**
11	गाजियाबाद	0.374	0.374	3.077	0.765	**4.590**
12	गौतमबुद्धनगर	0.440	0.440	3.620	0.900	**5.400**
13	बुलन्दशहर	0.990	0.990	8.145	2.025	**12.150**
14	हापुड़	0.374	0.374	3.077	0.765	**4.590**
15	अलीगढ़	1.134	1.134	8.607	2.215	**13.090**
16	हाथरस	0.440	0.440	3.620	0.900	**5.400**
17	एटा	0.924	0.924	7.602	1.890	**11.340**
18	कासगंज	0.352	0.352	2.896	0.720	**4.320**
19	मथुरा	0.638	0.638	5.249	1.305	**7.830**
20	आगरा	0.748	0.748	6.154	1.530	**9.180**
21	फिरोजाबाद	0.638	0.638	5.249	1.305	**7.830**
22	मैनपुरी	0.892	0.892	6.616	1.720	**10.120**
23	बदायूं	0.572	0.572	4.706	1.170	**7.020**
24	बरेली	0.870	0.870	8.435	1.675	**11.850**
25	पीलीभीत	0.352	0.352	3.896	0.720	**5.320**
26	शाहजहांपुर	0.682	0.682	5.611	1.395	**8.370**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

27	खीरी	1.024	1.024	7.702	1.990	**11.740**
28	सीतापुर	0.936	0.936	6.978	1.810	**10.660**
29	हरदोई	1.034	1.034	8.507	2.115	**12.690**
30	उन्नाव	1.144	1.144	9.412	2.340	**14.040**
31	लखनऊ	0.616	0.616	5.068	1.260	**7.560**
32	रायबरेली	0.958	0.958	5.159	1.855	**8.930**
33	फर्रूखाबाद	0.550	0.550	6.525	1.125	**8.750**
34	कन्नौज	0.418	0.418	3.439	0.855	**5.130**
35	इटावा	0.572	0.572	4.706	1.170	**7.020**
36	औरैया	0.496	0.496	3.358	0.910	**5.260**
37	कानपुर देहात	0.594	0.594	4.887	1.215	**7.290**
38	कानपुर नगर	0.704	0.704	5.792	1.440	**8.640**
39	जालौन	0.440	0.440	3.620	0.900	**5.400**
40	झांसी	0.484	0.484	3.982	0.990	**5.940**
41	ललितपुर	0.418	0.418	3.439	0.855	**5.130**
42	हमीरपुर	0.418	0.418	3.439	0.855	**5.130**
43	महोबा	0.330	0.330	2.715	0.675	**4.050**
44	बांदा	0.440	0.440	3.620	0.900	**5.400**
45	चित्रकूट	0.386	0.386	5.453	0.685	**6.910**
46	फतेहपुर	0.870	0.870	6.435	1.575	**9.750**
47	प्रतापगढ़	1.100	1.100	6.050	2.250	**10.500**
48	कौशाम्बी	0.330	0.330	2.715	0.675	**4.050**
49	प्रयागराज	1.078	1.078	8.869	2.205	**13.230**
50	बाराबंकी	0.814	0.814	6.697	1.665	**9.990**
51	अयोध्या	0.638	0.638	5.249	1.305	**7.830**
52	अम्बेडकर नगर	0.496	0.496	6.358	0.810	**8.160**
53	सुल्तानपुर	0.704	0.704	5.792	1.440	**8.640**
54	अमेठी	0.616	0.616	5.068	1.260	**7.560**
55	बहराईच	0.770	0.770	4.335	1.575	**7.450**
56	श्रावस्ती	0.286	0.286	2.353	0.585	**3.510**
57	बलरामपुर	0.418	0.418	3.439	0.855	**5.130**
58	गोण्डा	0.770	0.770	3.335	1.575	**6.450**
59	सिद्धार्थ नगर	0.650	0.650	6.625	1.125	**9.050**
60	बस्ती	0.704	0.704	5.792	1.440	**8.640**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

61	संतकबीर नगर	0.396	0.396	6.258	0.810	**7.860**
62	महराजगंज	0.682	0.682	5.611	1.395	**8.370**
63	गोरखपुर	1.144	1.144	9.412	2.340	**14.040**
64	कुशीनगर	0.572	0.572	4.706	1.170	**7.020**
65	देवरिया	0.628	0.628	4.444	1.080	**6.780**
66	आजमगढ़	1.276	1.276	7.498	2.610	**12.660**
67	मऊ	0.682	0.682	5.611	1.395	**8.370**
68	बलिया	1.232	1.232	7.136	2.520	**12.120**
69	जौनपुर	0.792	0.792	6.516	1.620	**9.720**
70	गाजीपुर	1.144	1.144	9.412	2.340	**14.040**
71	चन्दौली	0.396	0.396	6.258	0.810	**7.860**
72	वाराणसी	0.352	0.352	2.896	0.720	**4.320**
73	संतरविदास नगर	0.342	0.342	2.001	0.495	**3.180**
74	मिर्जापुर	0.694	0.694	4.915	1.215	**7.518**
75	सोनभद्र	0.562	0.562	4.263	1.045	**6.432**
योग-		**50.000**	**50.000**	**400.000**	**100.000**	**600.000**

(रूपये छः करोड़ मात्र)

(विनोद कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।